160

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
## सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1644—तीन/2000 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 02--06—2000 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 467/1996—97/निगरानी

.....

श्रीमती लीलावती पत्नी लवकुश शर्मा,
निवासी — ग्राम सुरपुरा, तहसील अटेर
जिला—भिण्ड, हाल निवासी वीरेन्द्रनगर, भिण्ड

..... आवेदिका

विरूद्ध

1— ओमप्रकाश
2— शिवप्रकाश, पुत्रगण महावीर प्रसाद
निवासीगण — ग्राम सुरपुरा, तहसील अटेर
जिला— भिण्ड (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 वाजपायी, अभिभाषक, आवेदक
श्री जी0पी0 नायक, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

## आदेश

(आज दिनांक 19.9.2016 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 467/1996—97/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02--06—2000 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू--राजस्व संहिता 1959 ( जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि तहसील अटेर के ग्राम सुरपुरा में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 72 रकवा 0.428 है, सर्वे क्रमांक 744 रकवा 0.460 है0, सर्वे क्रमांक 777 रकवा 0.418 है0 सर्वे क्रमांक 787 रकवा 0.366 है0 एवं सर्वे क्रगांक 846 रकवा 0.230 है0 कुल किता 5 कुल रकवा 1.902 है0 जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी होरीलाल पुत्र रघुनाथ थे।

अभिलिखित भूमिस्वामी होरीलाल द्वारा विवादित भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.10.94 से निगरानीकर्ता श्रीमती लीलावती को विक्रय की गई। आवेदिका श्रीमती लीलावती द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.10.94 के आधार पर विवादित भूमि पर विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.01.95 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अभिलिखित भूमिस्वामी होरीलाल के स्थान पर नामान्तरण कराने का अनुरोध किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर इश्तहार जारी किया तथा विक्रेता को नोटिस जारी किये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.95 से विवादित भूमि विक्रेता होरीलाल के स्थान पर क्रेता श्रीमती लीलावती के नाम नामान्तरण स्वीकार किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.95 से दुखी होकर अनावेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा दोनों पक्षों को सुनने तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरान्त पारित आदेश दिनांक 06.01.97 से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुये, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया और प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ लौटाया कि अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर देकर विधिवत आदेश पारित करें । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष पेश की गई। जहॉ विधिवत प्रकरण क्रमांक 467/96–97/निगरानी पंजीबद्ध किया जाकर, दिनांक 02.06.2000 को आदेश पारित कर निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि का भूमिस्वामी हीरालाल था । आवेदिका के हित में अभिलिखित भूमिस्वामी द्वारा विक्रय पत्र द्वारा भूमि विक्रय कर दी गई । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण आवेदिका के पक्ष में हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत इश्तहार जारी किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । आपत्ति न आने के बाद ही दिनांक 12.12.95 को नामांतरण आदेश पारित किया गया । अनावेदकगण के द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा स्वीकार करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । अनावेदकगण का भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है । अभिलिखित भूमिस्वामी होरीलाल से कोई संबंध भी नहीं है । अपील की अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई थी । अभिलिखित

भूमिस्वामी होरीलाल आज तक विक्रय पत्र को कोई चुनौती नहीं दी गई है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान दिये बिना ही आदेश पारित किया जो विधि के विपरीत है । अतः ऐसा आदेश स्थिर रखने योग्य न होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर ही प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिका में सलंग्न सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, अटेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.96 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस समय नायब तहसीलदार, सुरपुरा द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया था, उस समय ग्राम सुरपुरा में बन्दोबस्त की कार्यवाही प्रचलित थी। ऐसी स्थिति में नामांतरण भी सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा ही कराया जाना था, चूँकि आपत्ति सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जब पटवारी कागजात में अमल हो ही चुका था, तब सक्षम अधिकारी के समक्ष कार्यवाही हेतु निर्देश देते हुये आपत्ति निरस्त की । इसी आराजी से संबंधित विचारण न्यायालय में अन्य दो प्रकरण और प्रचलित थे, तब अलग से प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये नामांतरण आदेश दिया गया जो नियमों के विरूद्ध है । ऐसी स्थिति में सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अटेर एवं विचारण न्यायालय में प्रचलित दो अन्य प्रकरणों में यह तो स्पष्ट हो जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने से पहिले हितबद्ध पक्षकार को कोई विधिवत सूचना नहीं दी और न ही उन्हें सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया गया । जो संहिता की धारा 110 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार गलत है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित करते हुये उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान हुये प्रकरण का निराकरण किये जाने में कोई गलती नहीं की है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने आदेश दिनांक 02.06.2000 से अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा पारित आदेश दिनांक

06.01.97 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.06.2000 समवर्ती निष्कर्ष होने से स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर